न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज
बंटवारा वाद सं0–39/2022

गीता रानी दासी.....वादिनी

बनाम

रखाल दास उर्फ सवाल दास एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
01.08.2023	वादिनी की ओर से पैरवी है। वादिनी की ओर से एक आवेदन दिनांक 01.05.2023 अंतर्गत आदेश 06 नियम 17 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत संशोधन आवेदन दाखिल किया गया है। जो आज दिनांक 01.08.2023 को आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** वादिनी का अपने आवेदन में कहना है कि प्रस्तुत वाद के वादपत्र के पैरा न0–08 एवं 09 में टंकक की भूल के कारण कुछ शब्द छुट गया है तथा कुछ शब्द गलत अंकित हो गया है। जिसमें सुधार करना न्यायहित में आवश्यक है। पैरा न0–08 के अंतिक लाईन में सवाल दास के बाद पलटु दास एवं दुलाल दास का नाम अंकित करना छुट गया है। जिसे न्यायहित में अंकित करना आवश्यक है। वादिनी के द्व ारा प्रस्तावित संशोधन औपचारिक है। इससे वाद की प्रकृति में कोई परिवर्तन नही होता है। वादिनी के द्वारा अपने आवेदन के समर्थन में शपथपत्र भी दाखिल किया गया है। अतः आवेदनानुसार वादपत्र में संशोधन करने की अनुमति देने की कृपा करें। प्रतिवादीगण की ओर से वादिनी के आवेदन का कोई प्रत्युत्तर दाखिल नही किया गया है। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद अभी प्रांरभिक अवस्था में है। आदेश 06 नियम 17 में कोई भी पक्षकार न्यायालय कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर अपने अभिवचनों को परिवर्तित या संशोधित करने के लिए अनुज्ञाप्त कर सकेगा और वे सभी संशोधन किये जायेगें। जो दोनो पक्षों के बीच विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों के आवधारण के परियोजन के लिए आवश्यक हो। वादिनी द्वारा प्रस्तावित संशोधन सामान्य प्रकृति का है। इससे वाद की प्रकृति पर कोई प्रभाव पडना	

<u>न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज</u>
<u>बंटवारा वाद सं0–39/2022</u>

गीता रानी दासी.....वादिनी

बनाम

रखाल दास उर्फ सवाल दास एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 01.08.2023	प्रतीत नही होता है परंतु अगर वादिनी द्वारा सम्यक सतर्कता बरती होती तो प्रस्तुत संशोधन आवेदन की आवश्यकता नही पड़ती परंतु फिर भी ऐसी दशा में न्यायहित में वादिनी का आवेदन मो0–500/– रूपये हर्जे पर स्वीकृत किया जाता है तथा उनके विद्वान अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह विधिक समय सीमा के तहत वादपत्र में आवेदनानुसार अपेक्षित संशोधन करें। वाद दिनांक 14.08.2023 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	